न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—08/2021 (2021/118) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—उमा आत्मज बेणा गाडरी निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—गिरधारी आत्मज बेणा गाडरी निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—गोकल आत्मज माना गाडरी निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4—चम्पा आत्मज रामा गाडरी निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5—चम्पा आत्मज भाला गाडरी निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6—दीपा पिता छीतर गाडरी निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
7—धन्ना पिता माना गाडरी निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
8—नाथु पिता भैरा गाडरी निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
9—भुरा आत्मज भैरा गाडरी निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
10—नानु आत्मज लाला गाडरी निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
11—मोहन आत्मज मांगु गाडरी निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
12—सोनीदेवी पत्नि मांगु गाडरी निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
13—धन्नी पत्नि रूपा गाडरी निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
14—पारस आत्मज रूपा गाडरी निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1—केली पुत्री पेमा गाडरी निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—केशु आत्मज पेमा गाडरी निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—नेनुड़ी पत्नि छोगा गाडरी निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4—लक्ष्मण आत्मज हजारी गाडरी निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5—तोलु आत्मज कालु गाडरी निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6—नारायण आत्मज रूपा गाडरी निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
7—प्यारी पुत्री मांगु गाडरी निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
8—भैरू आत्मज कालु गाडरी निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
9—चांदी पुत्री रूपा गाडरी निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
10—शांन्ति पुत्री मांगु गाडरी निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
11—सायरी पत्नि कालु गाडरी निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित

1. महेन्द्रसिंह — प्रार्थीगण अधिवक्ता
2. फारूख मोहम्मद — विपक्षीगण अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक—02.09.2021

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम नान्दशा जागीर पटवार हल्का नान्दशा जागीर [illegible] हल्का आबादी में प्रार्थीगण व मृतक खातेदारी केला आत्मज कस्तुर जो लिपिकी[illegible] केला गलत अकिंत है उसकी जगह बेणा कस्तुर थे, जिसके प्रार्थीगण [illegible] 2 पुत्र है [illegible] संख्या 3 से 8 व 10, 11 एवं खातेदार मृतक रामी पत्नि भाला का दे[illegible] वारीस प्र[illegible]ख्या 5 है व खातेदार रूपा आत्मज उंकारजी का [illegible] जिसके वारीस प्रार्थी[illegible] 13, 14 एवं विपक्षी संख्या 9 है के संयुक्त खातेदारी की आराजी संख्या 2025 रकबा 0.08 है0 गे.मु आराजी चाह है एवं प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 9 की आराजियात उक्त चाह के पास स्थित है। आराजी चाह के खाता संख्या 275 एवं आसपास स्थित उनकी आराजियात की जमाबन्दीया

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.09.21 14:06:08 IST
Reason: SelfAttested

संवत 2076 से 2079 तक नक्शा ट्रेस साथ प्रस्तुत है। कलम संख्या 1 में अकिंत आराजी एवं प्राथीगण एवं विपक्षी संख्या 3 से 11 की अन्य आराजियात जो कुएं के आसपास मे है आने जाने का एक मात्र रास्ता सरकारी रास्ते की भूमि आराजी संख्या 1670 ग्राम नान्दशा से खुटियां जाने वाले रास्ते की है से होकर विपक्षी संख्या 1 व 2 की आराजी संख्या 2024 की दक्षिणी पाली पर स्थित 16 फिट चौड़े रास्ते से होकर संज, बैलगाड़ी, ट्रेक्टर आदि से प्रविष्ट होते चले आ रहे है एवं काश्त लाभ लेते रहे है। प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 3 से 11 की आराजी चाह संख्या 2025 व आसपास की उनकी आराजियात में प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 में अंकितानुसार सुचारू रूप से निरन्तर चला आ रहा है जिस पर विपक्षी संख्या 1 व 2 ने परेशान व जलील करने की गरज से जसीबी से खड्डा कर कांटे डाल कर अवैध कब्जा कर लोहे की जाली भी लगा ली व रास्ते को पूर्ण रूप से बंद कर दिया जिससे आराजी चाह एवं आराजियात में लाभ नही ले पा रहे है। प्रार्थीगण गरीब काश्तकार होकर उनके परिवार की आजीविका चलाने का एकमात्र साधन कृषि कार्य ही है विपक्षी संख्या 1 व 2 के उक्त कृत्य से प्रार्थीगण को उनकी आराजियात मे आवागमन करने व काश्त लाभ लेना पूर्ण रूप से दुभर हो गया है। अतः सादर प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम नान्दशा जागीर से खुटियां जाने वाले सरकारी रास्ते की आराजी संख्या 1670 से विपक्षीगण संख्या 1 व 2 की आराजी संख्या 2024 रकबा 1.10 है0 की दक्षिणी पाली पर 16 फीट चौड़ा रास्ता जिस पर विपक्षी संख्या 1 व 2 ने जेसीबी से खड्डा कर बाड़ कर दी है जिसे हटाया जाकर प्रार्थीगण की आराजी चाह संख्या 2025 रकबा 0.08 है0 व अन्य आराजियात में जाने तक पूर्वानुसार 16 फीट रास्ते को राजस्व रेकार्ड व नक्शे में दर्ज कराया जाने का आदेश प्रदान कराया जावे व उक्त रास्ते की भूमि की डीएलसी की राशि तय करा विपक्षी संख्या 1 व 2 को दिलाये जाने का आदेश प्रदान फरमाया जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 14.06.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1, 3 लगायत 11 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही की गई तथा विपक्षी संख्या 2 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया।

विपक्षी संख्या 2 ने अपने जवाब में प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए अंकन किया कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में केवल मात्र आराजी चाह संख्या 2025 का अंकन करते हुए विपक्षी की आराजी संख्या 2024 की दक्षिणी पाली पर नया रास्ता कायम करवाने का प्रार्थना पत्र पेश कर दिया जबकि प्रार्थीगण की अन्य आराजियात इसी कुऐं के आस पास स्थित है। तथा सामलाती हिस्सेदारों को आंशिक रूप से विपक्षी भी बनाया है, जबकि सामलाती सहखातेदार है, प्रार्थीगण ने तथ्य छुपाकर प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। तथा विपक्षी संख्या 02 की भूमि में प्रवेश होकर आवागमन करना गलत रूप से अंकन किया है। प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 03 लगायत 11 जबरन विपक्षी संख्या 02 की आराजी संख्या 2024 में नया रास्ता कायम करवाना चाहते हैं। आये दिन विपक्षी [illegible] हुई थौहारों की बाड़ को काट डालते है तथा उसे धमकियां देकर नया रास्ता [illegible] पर आमदा है। विपक्षी की आराजी में प्रार्थीगण का कोई रास्ता न[illegible] प्रार्थीगण स[illegible]म्पन्न व्यक्ति हैं तथा कुएं के आस पास सभी की काफी भूमि है। बिना वजह विपक्षी संख्या 02 की आराजी में नया रास्ता चाहते हैं जो गलत है। प्रार्थीगण कुऐं के साथ–साथ अन्य भूमियो [illegible] आवागमन वर्षों से करीब 40–50 वर्ष से भी अधिक समय से भी नान्दशा गांव आबादी से शुरू हुए रास्ते से होकर आते जाते रहे है। इसी रास्ते का उपयोग वर्तमान में भी कर रहे हैं तथा इस वर्ष भी इसी रास्ते से होकर फसल

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.09.21 14:06:08 IST
Reason: SelfAttested

काश्त की है। प्रार्थीगण ने केवल मात्र कुऐं को आधार मानकर रास्ता नये सिरे से कायम करवाना चाहा है, जो कतई दिया जाना न्यायोचित नहीं हैं। प्रार्थीगण आराजी चाह संख्या 2025 व आसपास के अन्य आराजियात जिनमें आराजी संख्या 2026, 2027, 2028, 2020, 2021 आदि खसरा नम्बर में आवागमन मौका रिपोर्ट में दर्शाये गये वैकल्पिक मार्ग से होकर सदैव से आवागमन कर रहे हैं। वर्तमान में भी हकाई, बुवाई सारा कृषि कार्य इसी वैकल्पिक रास्ते से होकर किया हैं। प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हैं, जो वर्तमान में खुला होकर कोई बाधा या अवरोध नहीं है। यह रास्ता प्रार्थीगण की आराजी संख्या 2026 तक जाता हैं। तथा मौका रिपोर्ट में प्रस्तुत नजरी नक्शे में अन्य खेतों में आगे अन्य भूमियों में जाने का मार्ग भी खुला हुआ हैं। मजीद कथन के रूप में निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र में आराजी चाह संख्या 2025 को ही दर्शाकर विपक्षी संख्या 02 की आराजी संख्या 2024 की दक्षिणी पाली पर नया रास्ता न्यायालय श्रीमान् से चाहा है जबकि इस कुएँ के पास प्रार्थीगण की आराजी संख्या 2026, 2027, 2028, 2020, 2021 स्थित है। इसी प्रकार प्रार्थी संख्या 10 मांगु पिता लालु की आराजी संख्या 2042, 2043, 2037 मुख्य सड़क जो नजरी नक्शे में आराजी संख्या 1676 है, से सटमा है तथा प्रार्थी ने अपनी आराजियात के तथ्य को छुपाकर विपक्षी संख्या 02 की भूमि में नया रास्ता मांगा हैं, जबकि इस प्रार्थी संख्या 10 की भूमि में होकर भी सभी प्रार्थीगण कुऐं पर आसानी से आवागमन कर सकते हैं, लेकिन प्रार्थीगण विपक्षी की भूमि में ही नया रास्ता लेना चाहते हैं, जो दिया जाना न्यायोचित नहीं है। विपक्षी संख्या 02 गरीब व्यक्ति है, जिसके पास न तो राजनैतिक पहुंच हैं, न ही आर्थिक रूप से सम्पन्न है। विपक्षी संख्या 02 को बेजा परेशान करने की गरज से यह प्रार्थना पत्र न्यायालय आप में प्रस्तुत किया है, जबकि प्रार्थीगण के पास वर्षों पुराना वैकल्पिक मार्ग अपनी आराजियात एवं कुऐं पर पहुंचने का मौजूद हैं। तथा वर्तमान में यह वैकल्पिक रास्ता खुला हुआ है तथा उक्त रास्ते में कोई अवरोध या बाधा नहीं है मौका रिपोर्ट में यह वैकल्पिक रास्ता आराजी संख्या 2054, 2058, 2034, 2033, 2032, 2031 व आगे प्रार्थीगण की आराजी संख्या 2026, 2027 व 2028 तक जाता है, तथा उक्त आराजियात के दोनों तरफ बड़ी–बड़ी पुरानी थौहरों की बाड़ बनी हुई हैं, और यह रास्ता बीच में दोनों तरफ की बाड़ को छोड़ते हुए कायम हैं। आराजी संख्या 2054 तक यह रास्ता रेकार्ड में गेमु रास्ता दर्ज हैं, आगे प्रार्थीगण की आराजियात एवं कुएँ तक मौके पर रास्ता खुला हुआ है। विपक्षी संख्या 2 आराजियात में जबरन नये सिरे से रास्ता कायम करने की गरज से हम सलाह होकर दिनांक 20.05.2021 को विपक्षी केशु की आराजी संख्या 2024 में जबरन प्रवेश हुए और उनकी वर्षो पुरानी थोहर की बाड़ काटने लगे और उसे जान से मारने की धमकियां देकर रास्ता कायम करने लगे। प्रार्थनापत्र सुविधा के आधार पर प्रार्थीगण ने रास्ता लेने हेतु पेश किया है जो विधिसम्मत नही है। अतः प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

प्रकरण में तहसीलदार रायपुर से मोका रिपोर्ट ली गई तहसीलदार रायपुर द्वारा रिपोर्ट में अंकन किया कि प्रार्थीगण द्वारा आराजी संख्या 2024 की पश्चिमी मेड़ के सहारे सहारे आते जाते थे जिसको विपक्षी केशु पिता पेमा गाडरी [illegible] कर दिया है। ग्राम नान्दशा की आराजी संख्या 2024 रकबा 1.10 है0 भूमि खातेदार [illegible] पेमा गाडरी के नाम दर्ज होकर मौके पर वर्तमान में रास्ता नही होकर [illegible] बाड़ [illegible] हुई है। मौके पर विपक्षी केशु के द्वारा प्रार्थीगण के आवागमन का चालू रास्ता बताया जो आराजी संख्या 2026, 2027, 2028, 3236/2029, 3237/2029, 2027, 2031, 2032, 2033, 2034, 2054, में होकर जा रहा जिससे आराजी संख्या 2025 गे.मु. आचा पर जाना बताया जो अन्य खातेदार व प्रार्थीगण के खेत है। प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी संख्या 2 की आराजी में जहां रास्ता चाहा गया है उसका रकबा 0.04 है0

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.09.21 14:06:08 IST
Reason: SelfAttested

बनता है जिसमें एक पूर्वज बावजी का चबुतरा निर्मित होकर मुर्तिया स्थापित होना दर्शाया गया है। आराजी संख्या 2024 की डीएलसी दर 124470 रूपये प्रति बीघा बताते हुए वर्तमान चालु रास्ते को बल्यु स्याही से एवं प्रार्थीगण के द्वारा चाहे गये प्रस्तावित रास्ते को लाल स्याही से दर्शाया गया है। मौके पर वैकल्पिक रास्ता खसरा नम्बर 2026, 2027, 2028, 3236 / 2029, 3237 / 2029, 2027, 2031, 2032, 2033, 2034, 2054 में स्थित है जो खातेदारी भूमि होकर रास्ता लम्बा एवं अधिक दुर होना दर्शाया गया है। अधिवक्ताओ को तहसीलदार रायपुर द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन कराया गया।

उभयपक्ष अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई।

प्रार्थीगण अधिवक्ता के अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण विपक्षी संख्या 2 की आराजी संख्या 2024 की पाली पर होकर जाते है जिसे बन्द कर दिया गया है विपक्षी द्वारा जो रास्ता बताया गया है वे काफी लम्बा है तथा प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता लघुतम है। विपक्षी द्वारा अपने जवाब में यह नही लिखा कि प्रार्थीगण कोनसी आराजी में होकर आते जाते है। प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

विपक्षी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि धारा 251ए की मूल मंशा यह है कि जहां किसी खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि में जाने का कोई रास्ता नही हो तो धारा 251ए के तहत् रास्ता दिया जाना आवश्यक है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण की खातेदारी के पास ही वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होकर मौके पर चालु है। प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी की आराजियात में जाने हेतु जबरन थोहर काटे गये है जिसके फोटोग्राप्स पेश किये गये है। प्रार्थीगण की आराजियात में जाने का मौके पर रास्ता चालु है प्रार्थीगण जानबुझकर विपक्षी को डरा धमका कर रास्ता लेना चाह रहे है विपक्षी अकेला है प्रार्थीगण ज्यादा है और विपक्षी को नाजायज परेशान किया जा रहा है। मौके पर विपक्षीगण अपनी आराजियात में पहले से ही आवागमन कर रहे है जिसका विवरण तहसीलदार रायपुर द्वारा अपनी रिपोर्ट में दर्शाते हुए आराजी संख्या अंकित किये है। इसके साथ ही अगर प्रार्थीगण खुटियां के रास्ते से आवागमन करना चाहते है तो खुटियां के रास्ते से लगती हुई प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि स्थित है वहां से आवागमन कर सकते है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन नही कर विपक्षी संख्या 2 की आराजी में सुविधा के आधार पर आवागमन करना चाह रहे है जो उचित नही है। रास्ता पहले से ही उपलब्ध है। इस सम्बन्ध में आरआरटी 2016 (2) पेज 798, आरआरटी 2018–19 (सप्ली.) पेज 576, आरआरटी 2019 (2) पेज 1543, आरआरटी 2016–17 (सप्ली.) पेज 677 की नजीरे पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। अतः प्रार्थना पत्र खारीज फरमावे।

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा पुनः अन्त में कहा कि विपक्षी अधिवक्ता के द्वारा जो नजीरे पेश की गई है वो इस प्रकरण पर लागु नही होती है। प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

मैंने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट तथा उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थीगण ग्राम खुटियां जाने वाले रास्ते से विपक्षी संख्या 2 की आराजी संख्या 20[illegible] [illegible] पश्चिमी मेड़ के सहारे सहारे होकर अपनी खातेदारी भूमि में जाना चाहते है और मौके [illegible] 16[illegible] का रास्ता बता कर आवागमन करना प्रार्थना पत्र में लिखा गया जबकि उस जगह एक पूर्वज बावजी का चबुतरा निर्मित होकर मुर्तिया स्थापित है चबुतरे और मेड़ के बीच में मात्र 10 फीट भूमि ही उपलब्ध हैं जिससे कभी भी पूर्वज बावजी का स्थान व मूर्तिया को क्षति हो सकता है। तहसीलदार रायपुर की रिपोर्ट के पैरा 1 में यह भी अकिंत किया कि आराजी संख्या 1670 बिलानाम गै.मु. रास्ता से आराजी संख्या 2025 में जाने हेतु मौके पर आराजी संख्या 2024 में कोई रास्ता नही होकर थोहर की

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.09.21 14:06:08 IST
Reason: SelfAttested

बाड़ लगी हुई है। मौके पर आराजी संख्या 2026, 2027, 2028, 3236/2029, 3237/2029, 2027, 2031, 2032, 2033, 2034, 2054 मे रास्ता बना हुआ है जिससे प्रार्थीगण एवं अन्य खातेदारान द्वारा आवागमन किया जाता है। उक्त रास्ता खातेदारी भूमि में स्थित होकर मौके पर खातेदारो के द्वारा रास्ता छोड़कर दोनो ओर बाड़ की हुई है। मौका रिपोर्ट के पैरा 6 में तहसीलदार रायपुर द्वारा अंकित किया कि ट्रेस में वर्तमान रास्ते को बल्यू स्याही से एवं प्रस्तावित रास्ते को लाल स्याही से दर्शाया गया है और साथ ही यह दर्शाया गया कि मौके पर जो रास्ता चालु है वो लम्बा और अधिक दुर पड़ता है।

प्रार्थीगण ग्राम खुटियां के रास्ते से आवागमन चाहते है तो खुटियां के रास्ते से लगती हुई आराजी संख्या 2042, 2037 स्थित है जो प्रार्थीगण की भूमि है। उसके आगे आराजी संख्या 2025, 2026 है जो भी प्रार्थीगणो की है जिसमें आवागमन बिना किसी व्यवधान के किया जा सकता है। इस प्रकार वर्तमान में मौके पर चालु रास्ता जिससे अन्य खातेदारान द्वारा आवागमन किया जा रहा है उसी रास्ते से प्रार्थीगण भी अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन कर रहे है अगर प्रार्थीगण सीधा खुटियां के रास्ते से आवागमन चाहते है तो उसके लिये प्रार्थीगणो की स्वयं की भूमि खुटियां रास्ते से लगती हुई है जिससे आवागमन करे।

विपक्षी अधिवक्ता के द्वारा जो न्यायिक दृष्टान्त पेश किये है जिसमें आरआरटी 2016–17 (सप्ली.) पेज 677 के पैरा 7, 8, 9, 10 में स्पष्ट कर रखा है कि नया रास्ता स्वीकृत हेतु 2 बाते आवश्यक है।

1. रास्ते की आवश्यकता आत्यान्तिक होनी चाहिये न कि केवल सुविधा पूर्वक हो।
2. वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नही होना चाहिये।

इस प्रकरण में मौके पर वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है वैकल्पिक रास्ता दूर और लम्बा होने से प्रार्थीगण विपक्षी की आराजियात में रास्ता चाहते है।

इसी प्रकार आरआरटी 2018–19 (सप्ली.) पेज 576 के पैरा 7, 8 में अंकन किया कि रास्ता पहले से ही उपलब्ध हो तो सुविधा हेतु नये रास्ते का आदेश नही किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त आरआरटी 2019 (2) पेज 1544 मे भी स्पष्ट किया कि प्रार्थी के पक्ष में वैकल्पिक मार्ग है और जवाब में भी स्वीकार किया तो नया रास्ता सृजित करना न्यायोचित नही है। आरआरटी 2016 (2) पेज 798 के पैरा 9, 10 में भी स्पष्ट किया कि वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नही हो और प्रस्तावित रास्ता लघु मार्ग हो तो ही नया रास्ता दिया जा सकता है।

इस प्रकरण में प्रार्थीगण के आवागमन हेतु मौके पर वैकल्पिक रास्ता चालु है जिसे आवागमन हो रहा है। प्रार्थीगण अगर सुविधा की दुष्टि से लघुतम मार्ग चाहते है तो प्रार्थीगण की खातेदारी आराजियात रास्ते से लगती हुई है जिससे आवागमन किया जा सकता है। विपक्षी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण में पूर्णतया चस्पा होते है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य नही है।

Signature Not Verified

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की मूल मंशा के विपरीत होने से अस्वीकार किया जाता है।

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.09.21 14:06:08 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 02.09.2021 को [illegible] लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

2.9.2021

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर (भीलवाड़ा)